कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

–: परिपत्र :–

क्रमांक : 02 / दो–22–3 / 62 सागर, दिनांक : 09 / 2 / 2024

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी / 958 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के अवकाश एवं मुख्यालय अनुमति के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं किंतु न्यायिक अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

प्रायःदेखने में आ रहा है कि सागर एवं बाहय तहसील न्यायालयों में पदस्थ कतिपय न्यायिक अधिकारीगण अवकाश आवेदन प्रस्तुत कर, बिना अनुमति, स्वीकृति के अवकाश पर प्रगमन कर मुख्यालय से प्रस्थान किया जाता है तथा न्यायिक अधिकारीगण द्वारा अर्जित अवकाश के आवेदन म0प्र0 अर्जित अवकाश के आवेदन अवकाश नियम 1977 के नियम 13 (2) के अनुसार 21 दिन (03 सप्ताह) पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है और अर्जित अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उपभोग किया जा रहा है जो उचित नहीं है ।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अवकाश नियम के अनुसार अर्जित अवकाश के आवेदन 21 दिन पूर्व प्रस्तुत करें एवं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोडकर, अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने के बाद स्वीकृति के पश्चात ही अवकाश पर प्रगमन करें तथा किसी भी परिस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान न किया जावे ।

आदेश पालन नहीं किये जाने पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चत की जावेगी ।

तत्काल प्रभावशील ।

-Sd-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर

पृ0क्रमांक : 595 / दो–22–3 / 62 सागर, दिनांक : 10 / 2 / 2024

प्रतिलिपिः–

1– समस्त न्यायिक अधिकारीगण सागर एवं बाहय तहसील न्यायालयों की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

2– लेखापाल / प्रेषक लिपिक / अवकाश लिपिक की ओर ओर सूचनार्थ ।

3– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय सागर की ओर समस्त न्यायिक अधिकारियों के मध्य ईमेल के माध्यम से भिजवाये जाने हेतु प्रेषित ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर